



20018 - अक्रीका का हुक्म, और क्या यह गरीबों से माफ़ हो जाता है

प्रश्न

अल्लाह ने मुझे एक बच्चा प्रदान किया है, और मैंने सुना है कि मेरे पति को अक्रीका के रूप में दो बकरियों कुर्बान करनी होंगी। अगर उसकी परिस्थितियाँ उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देती हैं क्योंकि उसपर बहुत सारे कर्ज हैं, तो क्या यह उससे माफ़ हो जाएगा?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

सर्व प्रथम :

अक्रीका के हुक्म के बारे में विद्वानों में मतभेद है, इस विषय में उनके तीन दृष्टिकोण हैं : उनमें से कुछ का कहना है कि यह अनिवार्य है, कुछ कहते हैं कि यह मुसतहब (वांछनीय) है और कुछ कहते हैं कि यह सुन्नत मुअक्कदा है और शायद यही राजेह (प्रबल) दृष्टिकोण है।

स्थायी समिति के विद्वानों ने कहा :

“अक्रीका सुन्नत मुअक्कदा है। लड़के की ओर से दो बकरियाँ हैं जिनमें से प्रत्येक कुर्बानी के लिए पर्याप्त हो, तथा लड़की की ओर से एक बकरी है। इसे सातवें दिन ज़बह किया जाना चाहिए, लेकिन अगर इसमें सातवें दिन से विलंब कर दिया जाता है, तो इसे किसी भी समय ज़बह करना जायज़ है, तथा इसमें देरी करने में कोई पाप नहीं है, लेकिन जितना संभव हो इसे जल्दी करना बेहतर है।” “फतावा अल-लजना अद-दाईमा” (11/439)

लेकिन विद्वानों ने इस बारे में कोई मतभेद नहीं किया है कि अक्रीका उस व्यक्ति पर अनिवार्य नहीं है जो गरीब है, कर्जदार तो बहुत दूर की बात है। वास्तविकता यह है कि अक्रीका से भी बड़ी (और महत्वपूर्ण) चीज़, जैसे कि – उदाहरण के तौर पर – हज्ज को (भी) कर्ज चुकाने पर प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।

इसलिए, आपके पति की वित्तीय परिस्थितियों के कारण आप लोगों के लिए अक्रीका अनिवार्य नहीं है।

स्थायी समिति के विद्वानों से पूछा गया :



अगर मेरे कई बच्चे हैं और मैं जीविका की तंगी के कारण उनमें से किसी का भी अक्रीका न करूँ ; क्योंकि मैं एक नौकरीपेशा आदमी हूँ और मेरा वेतन सीमित है और वह केवल मेरे मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, तो इस्लाम में मेरे बच्चों के अक्रीका के प्रति मेरे लिए क्या हुक्म है ?

उन्होंने उत्तर दिया :

“यदि वास्तविकता वैसी ही है जैसा कि आपने उल्लेख किया है कि आपके हाथ तंग हैं, और यह कि आपकी आय केवल आपके स्वयं के खर्चों और आपके अधीन लोगों के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ; तो अपने बच्चों की ओर से अक्रीका पेश करके अल्लाह की निकटता न प्राप्त करने में आप पर कोई दोष नहीं है ; क्योंकि अल्लाह तआला फरमाता है :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

البقرة / 286

“अल्लाह किसी प्राणी पर भार नहीं डालता परंतु उसकी क्षमता के अनुसार।” [सूरतुल-बकरा :286]

तथा उसका फरमान है :

وما جعل عليكم في الدين من حرج

الحج / 78

“और उस [अल्लाह] ने धर्म के मामले में तुमपर कोई तंगी नहीं रखी।” [सूरतुल-हज्ज :78]

तथा अल्लाह का फरमान है :

فاتقوا الله ما استطعتم

التغابن / 16

“अतः अल्लाह से डरते रहो, जितना तुमसे हो सके।” [सूरतुल-तगाबुन :16]

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित कि आपने फरमाया : “जब मैं तुम्हें कोई काम करने का आदेश दूँ, तो जितना तुमसे हो सके उसे अंजाम दो ; और जब मैं तुम्हें किसी चीज़ से मना करूँ, तो उससे दूर रहो।”

और जब भी तुम उसे करने में सक्षम हो, तो तुम्हारे लिए उसे करना धर्मसंगत है। “फतावा अल-लजना अद-दाईमा”



(11/436, 437)

स्थायी समिति के विद्वानों से यह भी पूछा गया :

एक व्यक्ति के कई बेटे थे और उसने उनका अक्रीका नहीं किया, क्योंकि वह गरीबी की स्थिति में था। कई वर्षों के बाद, अल्लाह ने अपनी कृपा से उसे धनवान बना दिया। क्या (अब) उसे अक्रीका करना होगा?

उन्होंने जवाब दिया :

“अगर वास्तविकता वैसी ही है जैसा कि उल्लेख किया गया है, तो उसके लिए उनका अक्रीका करना धर्मसंगत है, प्रत्येक लड़के की ओर से दो बकरियाँ।” “फ़तावा अल-लजना अद-दाईमा” (11/441, 442)

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह से पूछा गया :

एक व्यक्ति के कई बेटे और बेटियाँ हैं और उसने अज्ञानता या लापरवाही के कारण उनमें से किसी का भी अक्रीका नहीं किया। उनमें से कुछ अब बड़े हो गए हैं। अब उसे क्या करना चाहिए ?

उन्होंने उत्तर दिया :

“यदि वह अब उनका अक्रीका करता है, तो यह अच्छा है यदि वह नियम से अनभिज्ञ था, या (यदि) वह कहता रहा : “मैं कल अक्रीका करूँगा” यहाँ तक कि बहुत समय बीत गया। लेकिन यदि वह उस समय गरीब था जब अक्रीका निर्धारित हुआ था, तो उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।” “लिक़ाउल-बाब अल-मफ़तूह” (2/17-18)

इसी तरह, उसके परिवार के लिए उसकी ओर से अक्रीका करना अनिवार्य नहीं है, भले ही उनके लिए ऐसा करना जायज़ है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने दोनों नातियों हसन और हुसैन की ओर से अक्रीका किया था - जैसा कि अबू दाऊद (हदीस संख्या : 2841) और नसाई (हदीस संख्या : 4219) ने इसका वर्णन किया है और शैख अलबानी ने "सहीह अबू दाऊद" (2466) में इसे सहीह कहा है।

दूसरी बात :

अगर आपके निकट हज्ज और अक्रीका में टकराव हो जाए (और उनमें से किसी एक को चुनना हो) तो निश्चित रूप से हज्ज को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप अपने बच्चों का अक्रीका करना चाहते हैं तो यह जायज़ है, भले ही वे बड़े हो गए हों। तथा आपको आमंत्रित लोगों को यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह अक्रीका है, और उनके लिए आपके इस कार्य का मज़ाक उड़ाना जायज़ नहीं है क्योंकि आपने सही काम किया है। इसी तरह अक्रीका के मांस को पकाना और लोगों को



आमंत्रित करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मांस को कच्चा ही बाँटना जायज़ है।

स्थायी समिति के विद्वानों ने कहा :

“अकीका : उस ज़बीहा (जानवर) को कहते हैं जिसे बच्चे के जन्म पर अल्लाह के प्रति आभार प्रकट करने के लिए जन्म के सातवें दिन ज़बह किया जाता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। यह सुन्नत है, क्योंकि इस बारे में हदीसें वर्णित हैं। जो व्यक्ति अपने बच्चे का अकीका करता है, वह लोगों को अपने घर में या कहीं और उसे खाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, तथा वह मांस को कच्चा या पकाकर गरीबों, अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों, दोस्तों और अन्य लोगों में वितरित कर सकता है।”

“फतावा अल-लजना अल-दाईमा” (11/442)

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।